

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 88] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1979/चैत्र 28, 1901

No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 1979/CHAITRA 28, 1901

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 32-ईटीसी(पीएन)/79

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

विषय: खाण्डसारी बीनी का निर्यात

सं० 28/4/79-ई-1.—निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई(सी)प्रो. 1977/एएम(106), दिनांक 30-3-79 और सं० ई(सी)प्रो.1977/एएम(108), दिनांक 18 अप्रैल, 1979 के साथ पढ़ी जाने वाली वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 30-ईटीसी(पीएन)/79, दिनांक 30-3-79 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि खाण्डसारी बीनी के निर्यात की अनुमति किसी भी परिमाणजनक प्रतिबन्ध के बिना खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों को दी जाए। तदनुसार सार्वजनिक सूचना सं० 30-ईटीसी(पीएन)/79 दिनांक 30-3-79 से संलग्न नीति विवरण-यत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा:—

क्रम सं०	सन्दर्भ	संशोधन
1.	ख.33-क	विद्यमान अभ्युक्ति संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ी जाएगी :— “निर्यात की अनुमति कुला सामान्य लाइसेंस-3 में उल्लिखित अनुसार दी जाएगी।”

का० वें० शेषाद्री मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 32-ETC(PN)/79

New Delhi, the 18th April, 1979

Sub : Export of Khandsari Sugar.

No. 28/4/79-EI.—Attention is invited to Department of Commerce Public Notice No. 30-ETC (PN)/79 dated 30-3-79 read with Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(106) dated 30-3-79 and No. E(C)O, 1977/AM(108) dated 18th April, 1979.

2. On a review of the situation, it has been decided to allow the export of Khandsari Sugar under OGL.3 to all permissible destinations without any quantitative restriction. Accordingly, the following amendments will be made in the Policy Statement annexed to Public Notice No. 30-ETC(PN)/79 dated 30-3-79 as indicated below :—

S. No.	Reference	Amendment
1.	B.33A	The existing remark shall be amended to read as under :— “Export will be allowed as provided under OGL.3”.

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports